**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**11.03.2026 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3186 का उत्तर**

**दिव्यांगों और वृद्ध व्यक्तियों के लिए छूट/राजसहायता**

**3186. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या रेलवे का दिव्यांगों और वृद्ध व्यक्तियों के लिए यात्रा टिकटों में पहले की तरह राजसहायता बहाल करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;**

**(ख) क्या दिव्यांगजनों और वृद्ध लोगों के लिए निचली बर्थ आरक्षित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;**

**(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है;**

**(घ) क्या निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन चलाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय सीमा क्या है; और**

**(ङ) क्या बुलेट ट्रेन का मार्ग लखीमपुर खीरी से होकर गुजरेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (ङ): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2024-25 में यात्री टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यह राशि रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन 43% की रियायत के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट की कीमत केवल 57 रुपए होगी। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, दिव्यांगजनों की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और विद्यार्थियों की 8 कोटियों जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी से अतिरिक्त रियायतें जारी रखी गई हैं।**

भारतीय रेल वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों सहित सभी यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ मुहैया कराने हेतु निरंतर प्रयासरत रहती है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को मुहैया कराई जाने वाली कुछ सुविधाएँ निम्नानुसार हैं:

i. दिव्यांग यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को शायिका की उपलब्धता के अध्यधीन निचली शायिका का स्वतः आवंटन, चाहे कोई विकल्प न दिया गया हो।

ii. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी में छह से सात निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा, वातानुकूलित 3 टियर श्रेणी में चार से पांच निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा और वातानुकूलित 2 टियर श्रेणी में तीन से चार निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा (रेलगाड़ी में उस श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या के आधार पर) का एक संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

iii. सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में, जिनमें राजधानी/शताब्दी प्रकार की गाड़ियां शामिल हैं, दिव्यांग यात्रियों और उनके परिचरों के लिए आरक्षित कोटा का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है: -

- शयनयान श्रेणी में चार शायिकाएं (जिनमें दो निचली और दो मिडल शायिकाएं शामिल हैं)
- 3एसी/3ई में चार शायिकाएं (जिनमें दो निचली और दो मिडल शायिकाएं शामिल हैं)
- आरक्षित द्वितीय सिटिंग (2एस)/वातानुकूलित कुर्सी यान (सीसी) में चार सीटें, यदि उस गाड़ी में उस श्रेणी के दो से अधिक सवारी डिब्बे हों।

iv. रेलगाड़ी में रिक्त होने वाली निचली शायिकाओं को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन यात्रियों अथवा गर्भवती महिला यात्रियों (जिन्हें मिडल/ऊपरी शायिका आवंटित की गई है) को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है।

वर्तमान में, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरने वाली मुंबई – अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना (508 कि.मी.) निर्माण चरण में है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित सात नए उच्च-गति रेल गलियारे विकसित करने की घोषणा की है:-

(i) मुंबई - पुणे

(ii) पुणे - हैदराबाद

(iii) हैदराबाद - बेंगलुरु

**(iv) हैदराबाद - चेन्नै**

**(v) चेन्नै - बेंगलुरु**

**(vi) दिल्ली - वाराणसी**

**(vii) वाराणसी - सिलीगुड़ी**

**उपर्युक्त में से, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी गलियारे उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं। बहरहाल, किसी भी उच्च गति रेल गलियारे/परियोजना के अत्यंत पूंजी-गहन होने के कारण इन्हें स्वीकृत करने का निर्णय कई कारकों जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के परिणाम, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और संसाधनों की उपलब्धता जैसे वित्तपोषण विकल्प आदि पर निर्भर करता है।**

*****